



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 09 अप्रैल, 2026 ई0

चैत्र 19, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

शहरी विकास अनुभाग-03

संख्या- 972/IV(3)/2026-11(3 निर्वा0)/2024 TC-I

देहरादून, 09 अप्रैल, 2026

अधिसूचना

मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-278/2022 सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-10.05.2022 के अनुपालन में गठित मा0 एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की संस्तुतियों, भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 (1) तथा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 9 (1)(क) तथा धारा 9 की उपधारा (1)(3)(4) सपठित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) अधिनियम, 2024 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य की नगर पालिका परिषद, नरेन्द्रनगर, जनपद-टिहरी गढ़वाल में सामान्य निर्वाचन-2026 हेतु संलग्न अनुसूची-1 के अनुसार कक्षाओं को अनुसूचित जाति तथा महिलाओं हेतु आरक्षित एवं आवंटित करते हैं:-

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार शुक्ल,

उप सचिव।

संलग्नक अनुसूची-1

नगरपालिका परिषद, नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल)

क्र० सं०	वार्ड का नाम	आरक्षण का वर्ग
1	किनवानी	अनु०जाति महिला
2	वन्दे मातरम	अनारक्षित
3	बाजार लाईन	अनारक्षित
4	सिविल लाईन	अनारक्षित
5	सुमन चिकित्सालय परिसर	महिला
6	बखरियाणा	महिला
7	क्लर्क क्वाटर	अनारक्षित

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार शुक्ल,
उप सचिव।